8/7/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अतः
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 29/7/24

29/7/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अतः
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 14/8/24

14/8/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अतः
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 10/9/24

10/9/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अतः
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 15/10/24

15/10/24
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन व आदेश हेतु पत्रावली दि. 5/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

C.N – 85/18

5/11/24
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर आदेश पृथक से लेख कर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.11.25 15:44:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2018

1. मु0 शान्ति देवी पत्नि स्व0 श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. बृजमोहन पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. सीताराम पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. जटाशंकर पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. हेमराज पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. सुरेश पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नि महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. श्रीमती राजकुमारी उर्फ राजू पत्नि हेमराज जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 5/11/24

उपस्थितः श्री इन्द्रेश कुमार प्रार्थीगण अभिभाषक

एकपक्षीय अप्रार्थीगण

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 212 के विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.11.25 15:44:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

2.1 प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 तथा अप्रार्थी सं0 6 के संयुक्त अधिकार, मिलकीयत, खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 182 रकबा 01–09–00, ख0नं0 185 रकबा 03–09–00, ख0नं0 464 रकबा 05–15–00, ख0नं0 560 रकबा 06–02–00 एवं ख0नं0 564 रकबा 04–13–00 कुल किता 5 कुल रकबा 21–08–00 भूमि ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी सं0 1 व 2 का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/5, प्रार्थी सं0 3 हिस्सा 1/5, प्रार्थी सं0 4 हिस्सा 1/5 के एवं अप्रार्थी सं0 1 हिस्सा 1/5 के व अप्रार्थी सं0 6 हिस्सा 1/5 के राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार, काबिज, काश्तकार है। अप्रार्थी सं0 6 द्वारा स्वयं का 1/5 हिस्सा प्रार्थी सं0 4 को दिनांक 18.12.2017 के पंजीयन उपहार प्रलेख द्वारा उपहार में परिदत्त कर दिया, किन्तु राजस्व रिकार्ड में इसका अमल दरामद नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी सं0 4 स्वयं के 1/5 हिस्से सहित अप्रार्थी सं0 6 के उपहार प्रलेख द्वारा परिदत्त 1/5 हिस्से से कुल 2/5 हिस्से का उपरोक्त भूमि पर सह स्वामी काबिज है। भविष्य में किसी प्रकार का पक्षकारों के संयोजन को लेकर असमंजस्य जैसी स्थिति नहीं रहे इस कारण उपरोक्त अप्रार्थी सं0 6 को भी पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी सं0 1 एवं परिवारजन अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के सह हिस्से के कारण, प्रार्थीगण के काश्त कार्यो में विवाद करते है एवं उपरोक्त भूमि संयुक्त होने के कारण प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर सुधार विकास कार्य नहीं कर पा रहे है। इस कारण प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि, उपरोक्त भूमि का जमाबन्दी में दर्शित हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी नींव–सींव से विभाजन करवाकर स्वयं का पृथक–पृथक खाता, खसरा कायम करवाये। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य उपहार प्रलेख से प्रदत्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कतिपय कारणों से उपरोक्त पटवार हल्के में नियमित पटवारी की नियुक्ति नहीं होने से उपहार प्रलेख के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 को दिनांक 03.04.2018 को आग्रह किया कि, उपरेक्त भूमि का सहमती से विभाजन करवा लेवे किन्तु अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 विभाजन करवाने में उदासीन होकर अनर्गल वार्तालाप करने लगे। जिसके कारण प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि, वह अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 के [illegible] न्यायालय में विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत् वाद संस्थित [illegible] सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी[illegible] प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी [illegible] 1 लगायत 5 को वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.11.25 15:44:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण/उनके कर्मकार/असाईनिस के काश्त कार्यो में प्रार्थीगण के निहित हिस्से में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं करे तथा प्रार्थीगण को बलात बेदखल नहीं करे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संo 1 लगायत 6 द्वारा बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 24.02.2024 को उनके विरूद्ध को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 7 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 को दिनांक 03.04.2018 को आग्रह किया कि, उपरेक्त भूमि का सहमती से विभाजन करवा लेवे किन्तु अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 विभाजन करवाने में उदासीन होकर अनर्गल वार्तालाप करने लगे। जिसके कारण प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि, वह अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 के विरूद्ध न्यायालय में विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत् वाद संस्थित करे। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण/उनके कर्मकार/असाईनिस के काश्त कार्यो में प्रार्थीगण के निहित हिस्से में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं करे तथा प्रार्थीगण को बलात बेदखल नहीं करे।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी ग्राम काढा तहसील किशनगढ खाता संख्या 123 तथा उपहार प्रलेख दिनाक 18.12.2017 क्रमांक 201702006009511 के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थीगण के उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अतः रिकार्डेड खातेदार से जरिये रजि. उपहार प्रलेख उपहार [illegible] प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी सिद्ध करने में असफल रहे है। रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख से प्रार्थी संख्या 4 ने उक्त भूमि प्राप्त की है तथा अन्य प्रार्थी सहखातेदार है, जिससे अपूरणीय क्षति प्रार्थीगणो को होना कारित है। अतः उपयुक्त विवेचन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.11.25 15:44:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम काढ़ा स्थित कृषि भूमि ख0नं0 182 रकबा 01–09–00, ख0नं0 185 रकबा 03–09–00, ख0नं0 464 रकबा 05–15–00, ख0नं0 560 रकबा 06–02–00 एवं ख0नं0 564 रकबा 04–13–00 कुल किता 5 कुल रकबा 21–08–00 भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व कृषि कार्य में मदाखलत उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.11.25 15:44:39 IST
Reason: SelfAttested